तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निगरानी / टीए / 7366 / 2024 / सॉचौर **झमू देवी बनाम वागसिंह**	
	एकल–पीठ श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य उपस्थितः– श्री मुकेश जैन, अभिभाषक प्रार्थी श्री अजयपाल डिढारिया, अभि0केविएटकर्ता दिनांक : 04–11–2024 निर्णय यह निगरानी राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वितीय लिंक अधिकारी अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा प्रकरण सं. 80 / 2024 में पारित आदेश दिनांक 06–09–2024 के विरूद्ध धारा 230 सपठित धारा 221राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत की गयी है। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीगण ने बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण ने सहायक कलक्टर सॉचौर के समक्ष धारा 88, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर विचारण न्यायालय ने दिनांक 26–07–2011 को अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की। उक्त आदेश के विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 ने राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के समक्ष 13वर्ष मियाद बाहर अपील पेश की। उक्त अपील को लिंक अधिकारी अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा एकतरफा में सुनवाई करते हुये अपने गैर–कानूनी आदेश दिनांक 06–09–2024 द्वारा अपील को स्वीकार किये जाने के आदेश पारित कर दिये। उनका तर्क है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि उनके समक्ष मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की गई थी। ऐसी स्थिति में बिना मियाद को कंडोन किये अपील को स्वीकार नहीं किया जा सकता था, किन्तु अधीनस्थ अपीलीय	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टीए/7366/2024/सॉचौर</u>** **झमू देवी बनाम वागसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय ने उक्त महत्वपूर्ण विधिक बिन्दू पर गौर न कर आदेश पारित करने में त्रुटि की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06–09–2024 को निरस्त किया जावे। अभिभाषक केवियटकर्ता/अप्रार्थी ने बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा आदेश 39 नियम 3ए सीपीसी में वर्णित प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 26–07–2011को अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने के पश्चात उसका अंतिम रूप से निस्तारण नहीं किया गया है, जबकि आदेश 39नियम 3(ए)सीपीसी के प्रावधानानुसार अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने के पश्चात अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को एक माह के अन्दर निस्तारित कर देना चाहिए था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित आदेश दिनांक 06–09–2024 द्वारा विचारण न्यायालय को अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को आदेश 39 नियम 3(ए) सीपीसी की पालना में उभय पक्षों को सुनकर 30दिवस के भीतर विधि सम्मत आदेश पारित करने का जो आदेश पारित किया है, वह न्यायोचित है। अतः यह निगरानी खारिज की जावे। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 26–07–2011को अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने पश्चात उसका अंतिम रूप से निस्तारण नहीं किया है, जो आदेश 39 नियम 3ए सीपीसी के प्रावधानों का उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित आदेश दिनांक 06–09–2024 द्वारा विचारण न्यायालय को अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष को सुनकर 30दिवस के भीतर विधि सम्मत आदेश पारित करने का जो आदेश पारित किया	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टीए/7366/2024/सॉचौर</u>** **झमू देवी बनाम वागसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

है, वह उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह निगरानी खारिज की जाती है। उभय पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 18–11–2024 को उपस्थित होकर अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर अग्रिम कार्यवाही करे तथा विचारण न्यायालय तीस दिवस में अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का विधि सम्मत तरीके से निस्तारण करे। अप्रार्थी/गैर निगराकार यदि अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण में सहयोग नहीं करते हैं तो राजस्व अपील प्राधिकारी का निर्णय तीस दिवस उपरान्त निष्प्रभावी हो जायेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(भवानी सिंह पालावत)
सदस्य